न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 27/2022
दायर दिनांक : 22/04/2022
निर्णय दिनांक : 25/05/2022

उनवान

1. चांदीबाई पुत्री केला ओड़ निवासी ओडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. जमनालाल पुत्र केला ओड़ निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
3. भंवरलाल पुत्र केला ओड़ निवासी ओडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
4. मोहनलाल पुत्र केला ओड़ निवासी ओडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
5. शोभालाल पुत्र केला ओड़ निवासी ओडों का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. पेमा पिता रूपा ओड निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. गोपीलाल पिता घीसा निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
3. टीणु पिता मोती ओड़ निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
4. बालू पिता प्यारा ओड़ निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
5. रामा पिता नगजी ओड निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
6. गोटू पिता वेणीराम ओड निवासी ओडो का खेड़ा तहसील भूपालसागर
7. सूरजमल पिता दल्ला माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. जमनीबाई पत्नी किशना माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. टमू पुत्री किशना माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
10. मूला पिता लेला माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
11. नारू पिता रामा माली निवासी मालीखेड़ा तहसील भूपालसागर
12. जमनालाल पिता माधू जाट निवासी मेवदा तहसील कपासन
13. मांगीलाल पिता भैरू जाट निवासी मेवदा तहसील कपासन

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये, बार–बार आवाजे लगाई गई उपस्थित नहीं आये, इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ओडों का खेड़ा की आ.सं. 272 रकबा 0.68 है., आ.सं. [illegible] रकबा [illegible] है., आ.सं. [illegible] रकबा 0.01 है., आ.सं. 319 रकबा 0.32 है., आ.सं. 320 रकबा 0.52 है., आ.सं. 321 रक[illegible] आ.सं. 322 रकबा 1.56 है., आ.सं. 375/317 रकबा 0.14** हैक्टेयर भूमि में [illegible] जरिये [illegible] नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चा[illegible] कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फस[illegible] की जावे एव कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमि[illegible] फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रक[illegible]चाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.01 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested